न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 56/2010

वादी :-

1. सुवादेवी पत्नी बगदाराम
2. रेखा पुत्री बगदाराम
3. सुरमा पुत्री बगदाराम
4. दिनेश पुत्र बगदाराम
5. सरकी पुत्री बगदाराम
6. उषा पुत्री बगदाराम

वादीगण संख्या 5 व 6 नाबलिग जरिये कुदरती वलिया माता सुवादेवी पत्नी बगदाराम सभी जातियान कुमावत निवासीगण बेरा मोहनसागर ग्राम निमाज तहसील जिला पाली राज0

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बगदाराम पुत्र लाबूराम जाति कुमावत निवासी बेरा मोहनसागर निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज
2. गजराई पत्नी भानाराम जाति कुमावत (घोडावड) निवासी ग्राम निमाज तहसील जैतारण जिला पाली
3. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली राज.

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.04/06/2010**

उपस्थितः. 1. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 06/06/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-निमाज, पटवार क्षेत्र-निमाज-प्रथम, भू अभिलेख क्षेत्र-निमाज, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 6/4 रकबा 5 बीघा चाही प्रथम व खसरा नम्बर 6/6, रकबा 17 बीघा 15 बीस्वा चाही प्रथम कुल खसरा 2 कुल रकबा 22 बीघा 15 बीस्वा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की शामलाती पैतृक पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आयी हुई हैं। वादी संख्या एक प्रतिवादी सख्या एक की पत्नी हैं तथा बकाया वादीगण प्रतिवादी संख्या एक की संतान हैं। वाद पत्र के पद संख्या एक में वर्णित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार के पैतृक पुश्तैनी खातेदारी कब्जे काश्त की शामलाती कृषि भूमि हैं। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक का समान हिस्सा व अधिकार हैं। प्रतिवादी संख्या एक मन्दबुद्धि का आदमी है तथा थोडा भोला हैं। लोगों की सिखावट में आकर मौके की जमीन सस्ते में बैचने पर उतारु हैं। परिवार की आय का जरिया एकमात्र कृषि हैं। इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या एक को उक्त जमीन बैचने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। दिनांक 03/05/10 को प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या दो गजराई को खसरा नम्बर 6/6 रकबा 17 बीघा 15 बीस्वा में से 1 बीघा 5 बीस्वा (एक बीघा पांच बीस्वा) भूमि का बैचान कर दिया जो विधि विरुद्ध हैं। जिसका रजिस्ट्री केन्सिलेशन का दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये प्रतिवादी संख्या दो जो एक अजनबी केता हैं, कब्जा करने की कोशिश करेगी,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादीगण ऐसा हरगिज करने नहीं देगें। जिससे विविध प्रकार की मुकदमें बाजी होगी तथा वादीगण जैर बाहर हो जायेगें। इसलिए यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा हैं। वादी संख्या 5 व 6 नाबालिग है जिस प्रतिनिधि है जिनके विरुद्व दावा करने से पूर्व दो माह का नोटिस धारा 80 सीपीसी के तहत देना होता हैं। लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80(2) सीपीसी का अलग से प्रार्थना पत्र पेशकर बाद अनुमति वाद पेश किया जा रहा हैं। बिनाय दावा दिनांक 03.05.10 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का बैचान करने पर व आगे से आगे उक्त भूमि को ट्रांसफर करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम निमाज पैदा हुआ। जो श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को राजस्व शिविर में उपस्थित होने का नोटिस भेजा गया। नोटिस तामिल होने के बावजूद प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आए और वादीया उपस्थित आई। वादीया के हितों का ध्यान रखते हुए प्रतिवादीगण को कब्जे में दखल से रोकना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–निमाज, पटवार क्षेत्र–निमाज–प्रथम, भू अभिलेख क्षेत्र–निमाज, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 6/4 रकबा 5 बीघा चाही प्रथम व खसरा नम्बर 6/6, रकबा 17 बीघा 15 बीस्वा चाही प्रथम कुल खसरा 2 कुल रकबा 22 बीघा 15 बीस्वा में से विक्रित भूमि 1–05 बीघा की छोड़कर शेष भूमि में जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 06/06/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर –निमाज में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :-

1. सुवादेवी पत्नी बगदाराम
2. रेखा पुत्री बगदाराम
3. सुरमा पुत्री बगदाराम
4. दिनेश पुत्र बगदाराम
5. सरकी पुत्री बगदाराम
6. उषा पुत्री बगदाराम

वादीगण संख्या 5 व 6 नाबलिग जरिये कुदरती वलिया माता सुवादेवी पत्नी बगदाराम सभी जातियान कुमावत निवासीगण बेरा मोहनसागर ग्राम निमाज तहसील जिला पाली राज0

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बगदाराम पुत्र लाबूराम जाति कुमावत निवासी बेरा मोहनसागर निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज
2. गजराई पत्नी भानाराम जाति कुमावत (घोडावड) निवासी ग्राम निमाज तहसील जैतारण जिला पाली
3. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली राज.

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:56/2010

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-निमाज, पटवार क्षेत्र-निमाज-प्रथम, भू अभिलेख क्षेत्र-निमाज, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 6/4 रकबा 5 बीघा चाही प्रथम व खसरा नम्बर 6/6, रकबा 17 बीघा 15 बीस्वा चाही प्रथम कुल खसरा 2 कुल रकबा 22 बीघा 15 बीस्वा में से विक्रित भूमि 1-05 बीघा की छोड़कर शेष भूमि में जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **06/06/2015** को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	-00	स्टाम्प वकालतनामा	02	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी	04	-00
स्टाम्प वजह सबूत	03	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	07	-00	मिजानः-	06	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner